न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/13/2026 दायर दिनांकः–05.02.2026 रजि0 न0 2026/22

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री सीताराम गुप्ता स्व0 श्री मनोहर लाल गुप्ता निवासी घंटाघर, अलवर (राज०) 301001	लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 23.02.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित ।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 08.12.2025 के परिपेक्ष्य में चाही गई सूचना से असंतुष्ट होने बाबत अभिकथन किया गया है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.02.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील क्रमांक नविवि/आर०टी०आई०/2026/13033 दिनांक 13.02.2026 से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 08.12.2025 को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत न्यास कार्यालय में प्रार्थना–पत्र दिनांक 08.12.2025 को प्रस्तुत कर न्यू तेज टॉकीज, अलवर के परिसर पर बने व्यवसायिक कॉम्पलेक्स में न्यास द्वारा जारी भवन निर्माण स्वीकृति बाबत सूचना चाही गई थी। उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा न्यास पत्र क्रमांक 12255 दिनांक 21.01.2026 के द्वारा आवेदक द्वारा चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार से संबंधित होने के कारण अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्र सं. नविवि/आर०टी०आई०/ 2026/13033 दिनांक 13.02.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 23.02.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया ।

न्यायालय, जिला कलक्टर, अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर